रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-49/2026/2140/22-2-2025-17(1212)/2022
लखनऊ : दिनांक: 16 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजी सिंह (कैदी संख्या-27548) पुत्र श्री लालाराम सिंह, जो पिथउपुर, थाना-चुर्खी, जनपद-जालौन स्थान उरई का निवासी, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-109/1982 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0), अधिनियम जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 09.12.1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.04.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2025 तक 12 वर्ष 03 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 10 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-49/2026/2140 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
3- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in